

**उपायुक्त का कार्यालय, लोहरदगा
(राजस्व शाखा)**

पत्रांक /रा०, दिनांक

प्रेषक,

उपायुक्त, लोहरदगा।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, रांची।

विषय :- लोहरदगा जिला अन्तर्गत रांची पश्चिमी वन प्रमण्डल अधीनस्त मौजा बगडू, भूषाड़ एवं हिसरी में मेसर्स हिण्डाल्को को 19.56 हेक्टेयर भूमि अधिसूचित वन भूमि के अपयोजन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि किस्को प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम बगडू, भूषाड़ एवं हिसरी में निम्नलिखित गैर मजरूआ मालिक जंगल झाड़ी जमीन में हिण्डाल्को द्वारा बॉक्साईट खनन हेतु वन अधिकार अधिनियम अन्तर्गत ग्राम सभा कर विहित प्रपत्र में अनापत्ति पत्र स्थानीय भाषा एवं हिन्दी देवनागरी में आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

अंचल का नाम	मौजा	खाता सं.	प्लॉट सं.	रकबा (हेक्टेयर में)
किस्को	बगडू	170	80	4.88
	बगडू	170	116	1.01
	बगडू	170	191	2.78
	बगडू	170	200	0.46
	बगडू	170	204	0.44
	भूषाड़	86	215	2.19
	हिसरी	238	29	7.80
कुल				19.56

निर्वाचित प्रतिनिधि एवं पारम्परिक ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव की प्रति भी संलग्न है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :- यथोक्त।

उपायुक्त, लोहरदगा।

ज्ञापांक /रा०, दिनांक

प्रतिलिपि :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रांची पश्चिमी वन प्रमण्डल, लोहरदगा को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उपायुक्त, लोहरदगा।


ज्ञापांक 103 /रा०/2020 दिनांक 07.2.14

प्रतिलिपि :- महाप्रबंधक, हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०, लोहरदगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उपायुक्त, लोहरदगा।

प्रमाण पत्र

01. प्रमाणित किया जाता है कि बगडू बॉक्सआईट खनन परियोजना (परियोजना का नाम) के लिए प्रस्तावित 19.56 हेक्टेयर वनभूमि (वन भूमि का क्षेत्रफल) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत Settlement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में की गई बैठक से संबंधित अभिलेख संलग्न है।
02. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति स्थानीय भाषा/मातृभाषा में ग्राम सभा को व्याख्यापित कर दी गई है।
03. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में की गई चर्चा एवं लिए गए निर्णय के समय ग्राम सभा के न्यूनतम पचास प्रतिशत सदस्य की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
04. प्रमाणित किया जाता है कि आदिम जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3 (1) (e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
05. प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिए जाने वाली सुविधाओं से संबंधित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो, के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा ग्राम सभा द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई है।


उपायुक्त, लोहरदगा

प्रमाण पत्र

01. प्रमाणित ननतारई का बगडू बॉक्साईट खनन (परियोजना धी नाम) खतरी उईरका 19.56 हेक्टेयर (जगली खल रकबा) धी पत्त नू अनुसूचित जन-जाति अरा नन्ना-पच्चापरियाती जंगल नू रऊ आलर (जंगल अधिकार धी मान्यता) अधिनियम 2006 धी रत्त नू (सेटलमेन्ट ऑफ राईट) धी नलख पूरा बतारकी रई। इदीगहि पत्त नू खेंडहा उक्की रहचा अदिगही लेखा जोडरकी रई।
02. प्रमाणित ननतारई का जगल खल होअना गहि प्रस्ता मूध अड्डा नू जंगलता रउ आलर गहि खेडहा गहि मुदभरि उईरकी रहचा। परियोजना गहि गोट्टा विवरणी अरा अनुवर्ती प्रभाव थी पत्त नू/मातृभाषा नू खेडहा नू तंगरतारकी रई।
03. प्रमाणित ननतारई का जंगल खल ओअना धी प्रस्ताव अड्डा खेडहा नू आधा शय आलर खपेडरका रहचर अरा कोरम पूरा मंजकी रहचा।
04. प्रमाणित ननतारई का आदिम जनजाति खेडहा अरा पच्चापरियाती खल नू नलख नू आलर थी अधिकार अनुसूचित जन-जाति अरा नू पच्चा परियाती जंगल नू रउ आलर (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 गहि धारा 3 (1) (ई) लेख मूध लेखा उईरकी रहचा।
05. प्रमाणित ननतारई का सरकार ती खखरना सग (सुविधा) जगल खल अपयोजन प्रमाण (अगर रई) धी पत्त नू अनुसूचित जन-जाति अरा नन्ना जंगल नू रऊ आलर (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 धी धारा 3 (2) लेख प्रक्रिया पूरा बचका रई अरा पददा ता खोडहा नू सहमती मंजा केरा।

उपायुक्त, लोहरदगा